



अशोक गहलोत  
मुख्यमंत्री



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



शांति धारीवाल  
स्वायत्त शासन, आवासन एवं  
नगरीय विकास मंत्री



माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में  
गरीब एवं मध्यम वर्ग परिवार के अपने घर का सपना होगा पूरा

**जेडीए की दो आवासीय योजनाएं  
45 से 162 वर्गमीटर तक के 359 भूखण्डों का लॉटरी से आवंटन**

**मोहन लाल  
सुखाडिया नगर  
दहमीखुर्द, अजमेर रोड**

**प्रियदर्शिनी नगर  
मुहाना, सांगानेर**

**ऑनलाईन आवेदन की तिथि :  
28 फरवरी, 2020**

**आवेदन करने की अंतिम तिथि : 30 मार्च, 2020  
लॉटरी की तिथि : 15 अप्रैल, 2020**

अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें [www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in)  
एवं संपर्क करें फोन नं. : 9462569696 ई-मेल : [property.jda@rajasthan.gov.in](mailto:property.jda@rajasthan.gov.in)



# जयपुर विकास प्राधिकरण

## जविप्रा जोन 11 की दो आवासीय योजनाएँ

मोहन लाल सुखाडिया नगर- 194 आवासीय भूखण्ड  
प्रियदर्शिनी नगर- 165 आवासीय भूखण्ड

359 आवासीय भूखण्डों का लॉटरी द्वारा आवंटन हेतु  
आवेदन प्रक्रिया एवं नियम व शर्तों की आवेदन पुस्तिका  
(योजनाएँ रेरा अधिनियम 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत )

आवेदन की तिथि : 28.02.2020

आवेदन की अन्तिम तिथि : 30.03.2020

लॉटरी की तिथि : 15.04.2020

आवेदन करने से संबंधित विस्तृत जानकारी, जविप्रा की वेबसाइट [www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in)  
अथवा ई-मित्र कियोस्क केन्द्रों पर उपलब्ध हैं।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/ओ.एस.डी(आर.एम)/2019-20/डी- 352

दिनांक 11-3-2020

## संशोधन

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16.09.2019 के संशोधन संख्या 11 के बिन्दु संख्या 4 में किये गये संशोधन के क्रम में जविप्रा जोन 11 की दो आवासीय योजनाएँ मोहन लाल सुखाडिया नगर एवं प्रियदर्शिनी नगर हेतु जारी आवेदन पुस्तिका के बिन्दु संख्या 10.3 के अन्तर्गत भवन निर्माण की अवधि 5 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष पढी जावें।

  
विशेषाधिकारी  
(संसाधन विकास)

प्रतिलिपि :-

1. सिस्टम एनालिस्ट को भेजकर लेख है कि पोर्टल पर आवेदन पुस्तिका के साथ प्रदर्शित करावें।

विशेषाधिकारी  
(संसाधन विकास)

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

फोन : 0141-2569696

s. latter

जविप्रा जोन 11 की मोहन लाल सुखाडिया नगर ग्राम-दहमीखुर्द - 194 आवासीय भूखण्ड एवं प्रियदर्शिनी नगर ग्राम मुहाना- 165 आवासीय भूखण्ड योजनाओं के 359 आवासीय भूखण्डों का लॉटरी द्वारा आवंटन हेतु परिवार की प्रतिवर्ष सकल आय सीमा तथा आवंटन दर प्रति वर्ग मीटर नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.09.2019 के अनुसार रहेगी। सकल आय, आवंटन दर प्रति वर्गमीटर एवं पंजीकरण राशि प्रति भूखण्ड (रूपये) निम्नानुसार हैं :-

| योजना का नाम                                                 | आरक्षित दर रु.<br>प्रति व. मी. | 45 व. मी. तक<br>के भूखण्डों की संख्या | 46-75 व. मी. तक<br>के भूखण्डों की संख्या | 76-220 वर्ग मीटर<br>तक के भूखण्डों की संख्या |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| मोहनलाल सुखाडिया नगर<br>रेरा रजिस्ट्रेशन नं. RAJ/P/2020/1182 | 9500/-                         | 48                                    | 46                                       | 100                                          |
| प्रियदर्शिनी नगर<br>रेरा रजिस्ट्रेशन नं. RAJ/P/2020/1181     | 12500/-                        | 35                                    | 26                                       | 104                                          |
| (i) परिवार की प्रतिवर्ष सकल आय सीमा (रूपये में)              |                                | LIG-A<br>3,00,000/-                   | LIG-B<br>3,00,001/- से<br>6,00,000/-     | MIG<br>6,00,001/- से<br>10,00,000/-          |
| (ii) आवंटन दर प्रति वर्ग मीटर                                |                                | आरक्षित दर का 50 प्रतिशत<br>दर पर     | आरक्षित दर का 80 प्रतिशत<br>दर पर        | आरक्षित दर                                   |
| (iii) पंजीकरण राशि प्रति भूखण्ड<br>(रूपये में)               |                                | 10,000/-                              | 20,000/-                                 | 30,000/-                                     |

- ❖ LIG-A अर्थात 45 वर्ग मीटर तक भूखण्डों हेतु परिवार की प्रति वर्ष सकल आय सीमा रु. 3,00,000 तक के आवेदक ही पात्र होंगे।
- ❖ LIG-B अर्थात 46 वर्ग मीटर से 75 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों हेतु परिवार की प्रति वर्ष सकल आय सीमा रु 3,00,001 से 6,00,000 तक के आवेदक ही पात्र होंगे।
- ❖ MIG अर्थात 76 वर्ग मीटर से 220 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों हेतु परिवार की प्रति वर्ष सकल आय सीमा रु 6,00,001 से 10,00,000 तक के आवेदक ही पात्र होंगे।
- ❖ जिस परिवार के आवेदक की रु.10,00,000 से अधिक सकल वार्षिक आय है वह इन योजनाओं में किसी भी आरक्षित श्रेणी के लिए आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
- ❖ योजना में उपलब्ध भूखण्डों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक की जा सकती है, जिसकी सूचना जविप्रा की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जावेगी।

## 1. सामान्य शर्तें :-

- 1.1 योजना में आवेदन करने हेतु प्रक्रिया शुल्क रु. 500/- निर्धारित पंजीकरण राशि के साथ ऑनलाईन जमा कराना होगा।
- 1.2 आवेदक द्वारा एक ही आवेदन पत्र के माध्यम से अपने आय वर्ग सीमा एवं आरक्षित श्रेणी में वरीयता के आधार पर सभी योजनाओं में आवेदन किया जा सकेगा। एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक रजिस्ट्रेशन नम्बर से अलग-अलग आवेदन करने पर, सभी आवेदन निरस्त कर सम्पूर्ण जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 1.3 योजना के लिए निर्धारित पंजीकरण राशि आवेदन के साथ देय होगी। लॉटरी में योजना के भूखण्डों ग्रुप के अन्तर्गत किसी भी क्षेत्रफल का भूखण्ड आवंटन होने पर, आवंटि के लिए बाध्य होगी/होगा।
- 1.4 पंजीकरण राशि एवं प्रक्रिया शुल्क का भुगतान ऑनलाईन के माध्यम से जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से या नकद ई-मित्र कियोस्क पर जमा कराकर किया जा सकता है।
- 1.5 राज्य सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/नियम योजना के भूखण्ड आवंटन पर भी लागू होंगे।
- 1.6 सफल आवेदकों को भविष्य में किसी भी स्तर पर किसी प्रकार का कानूनी विवाद होने, अपरिहार्य कारणों से अथवा नीतिगत निर्णय के कारण यदि लॉटरी से आवंटित भूखण्डों का भौतिक कब्जा दिया जाना संभव नहीं हो पाये तो प्राधिकरण द्वारा बदले में किसी प्रकार से कोई भूखण्ड आवंटित नहीं किया जाएगा। लेकिन सफल आवेदक द्वारा भूखण्ड के पेटे जमा राशि लौटा दी जावेगी।
- 1.7 आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र में मोबाईल नम्बर देना अनिवार्य हैं। आवेदन फार्म में अंकित मोबाईल नम्बर पर OTP Verification के उपरान्त ही आवेदन फार्म भरा जा सकेगा।
- 1.8 आवेदक यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता आवेदक के स्वयं के नाम हो एवं बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड सही एवं खाता चालू स्थिति में हो। असफल आवेदक का बैंक खाता संख्या सही नहीं होने की स्थिति में पंजीकरण राशि के गलत बैंक खाते में हस्तान्तरित होने पर जविप्रा की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 1.9 संयुक्त नाम से आवेदन मान्य नहीं है लेकिन संयुक्त नाम के खाते में प्रथम नाम के आवेदक के आवेदन को मान्य किया जा सकेगा।
- 1.10 असफल आवेदको को पंजीकरण राशि का रिफण्ड आवेदक के बैंक खाते में बिना चार्ज Online के माध्यम से किया जायेगा।
- 1.11 आवेदन पत्र में भूखण्ड के लिए वार्षिक आय वर्ष-2018-19 के आधार पर एवं आरक्षित श्रेणी में आवेदन किया जा सकेगा।
- 1.12 ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर ई-मित्र कियोस्क को निर्धारित पंजीकरण राशि एवं प्रक्रिया शुल्क रु. 500 जमा कराने के लिए ई-मित्र कियोस्क को निम्नानुसार अतिरिक्त राशि देय होंगी:-

| # | Name of Service                                                                                                                      | RISL Charges |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Filling of application form with numbers of attributes according to JDA service (without any document) and providing receipt of JDA. | Rs. 21.00    |
| 2 | Collection of payment against the demand generated by JDA and providing receipt of JDA.                                              |              |
| a | Upto Rs. 5000.00                                                                                                                     | Rs.11.00     |
| b | Between Rs. 5001.00 To 25000.00                                                                                                      | Rs. 27.00    |
| c | Between Rs. 25001.00 To 50000.00                                                                                                     | Rs. 53.00    |
| d | Between Rs. 50001.00 To 500000.00                                                                                                    | Rs. 105.00   |

- Inclusive of GST

- 1.13 तकनीकी कारणों से Online आवेदन असफल होने की स्थिति में, पुनः ऑनलाईन आवेदन करने पर, यदि प्रथम बार किया गया आवेदन तकनीकी कारणों से आवेदन सफल हो जाता है, तो प्रथम आवेदन को लॉटरी में

सम्मिलित करते हुये द्वितीय एवं तृतीय बढ़ते हुए क्रम में सफल आवेदन को लॉटरी में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

- 1.14 लॉटरी से पूर्व आवेदन पत्र में मोबाईल नम्बर, नाम एवं आय ग्रुप/वरियता में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जावेगा। अन्य प्रकार के संशोधन एवं आवेदन पत्र निरस्त हेतु लिखित आवेदन लॉटरी तिथि से तीन दिवस पूर्व जविप्रा के मुख्य भवन के प्रथम तल पर स्थित कमरा नं. 128 में लिये जाकर संशोधन की कार्यवाही की जावेगी। आवेदन पत्र निरस्त करवाने की स्थिति में पंजीकरण राशि की 20 प्रतिशत राशि की कटौती करते हुए शेष राशि लौटाई जायेगी।
- 1.15 लॉटरी में सफल आवेदक को निर्धारित सम्पूर्ण राशि आवंटन-मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में नकद/बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन द्वारा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम से प्राधिकरण परिसर स्थित या जयपुर शहर स्थित किसी भी आई.सी.आई. सी.आई. बैंक शाखा में संबंधित योजना के खातों में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी।
- 1.16 भूखण्ड की सम्पूर्ण राशि जमा होने के बाद लीजडीड आवश्यक रूप से निष्पादित करानी होगी।
- 1.17 आवंटन दिनांक से 5 वर्ष तक भूखण्ड का हस्तान्तरण किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता है। आवंटन से 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की अवधि में हस्तान्तरण करने पर प्रचलित आरक्षित दर की 5 प्रतिशत दर से शुल्क वसूल कर नियमानुसार किए गए विक्रय पत्र अथवा दस्तावेज के आधार पर हस्तान्तरण की अनुमति दी जायेगी।
- 1.18 भूखण्ड का कब्जा प्राधिकरण द्वारा, कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिवस में संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता से संभालना होगा।
- 1.19 आवंटन में शहरी भूमि निस्तारण नियम-1974 के प्रावधान एवं समय-समय पर जारी राज्य सरकार के आदेश प्रभावी होंगे।
- 1.20 “आवंटित भूखण्ड केवल “आवासीय” उपयोग में लिया जा सकेगा, अन्य किसी प्रयोजन में नहीं। भूखण्ड का विभाजन/ पुनर्गठन प्रचलित “भवन विनियम” के प्रावधानानुसार मान्य होगा।
- 1.21 किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, जविप्रा का निर्णय अन्तिम होगा।
- 1.22 किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के संबंध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर ही होगा।
- 1.23 आवेदन पत्र के साथ अग्रिम राशि प्राप्त होने मात्र से, प्राधिकरण इस योजना में भूखण्ड आवंटन करने हेतु किसी भी रूप में कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।
- 1.24 राज्य सरकार/प्राधिकरण द्वारा, बिना सूचना दिए भूखण्ड के आवंटन की शर्तें बदलने पर आवेदक को कोई आपत्ति नहीं होगी।

## **2. आवेदन करने की प्रक्रिया :**

- 2.1 भूखण्डों के लिए आवेदन जविप्रा की वेबसाइट [www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in) के माध्यम से ऑनलाईन या ई-मित्र कियोस्क केन्द्रों के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे।
- 2.2 आवेदनकर्ता के बैंक खाता संख्या, बैंक एवं शाखा का नाम व बैंक शाखा का IFSC Code का स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिये।
- 2.3 ऑनलाईन आवेदन करने पर प्रक्रिया शुल्क एवं पंजीकरण राशि का भुगतान - Net Banking, Credit Card, Debit Card के माध्यम से किया जा सकेगा।

## **3. आवेदन की पात्रता :**

- 3.1 राजस्थान का मूल निवासी हो।
- 3.2 आवेदक की आयु, आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य हैं।
- 3.3 आवेदक के स्वयं के नाम से बैंक खाता होना अनिवार्य है, जो योजना अवधि में चालू होना चाहिए।

- 3.4 आवेदनकर्ता के बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम व बैंक शाखा का IFSC Code होना अनिवार्य है।
- 3.5 आवेदक का स्वयं एवं उसकी/उसके पत्नी/पति अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र (जिसकी आबादी 1,00,000 से अधिक हो) में कोई आवासीय भूखण्ड/मकान (लीजहोल्ड/फ्री होल्ड पर) नहीं होना चाहिए।
- 3.6 जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदक के नाम से गत 10 वर्ष में कोई मकान/भूखण्ड रियायती दर पर आवंटित नहीं हुआ हो।

#### 4. आवेदक की सकल वार्षिक आय एवं वर्ग :

- 4.1 आवेदक के स्वयं/परिवार की सकल वार्षिक आय (पति, पत्नी एवं आश्रितों की कुल आय) वित्तीय वर्ष 2018-19 के आधार पर मान्य होगी। आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक/परिवार की सभी स्रोतों से हुई कुल वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी।
- 4.2 ऐसे आवेदक, जो आयकर विवरणिका भरते हैं, उन्हें आई.टी.आर./फार्म 16 की प्रति तथा पैन कार्ड का विवरण भी आय प्रमाण पत्र में अंकित करना होगा।

#### 5. भूखण्डों में विभिन्न श्रेणियों हेतु आरक्षण :

- 5.1 आवेदक आवेदन की पात्रता के अनुरूप किसी एक निर्धारित आरक्षित श्रेणी में ही आवेदन कर सकता है:-

| केन्द्र सरकार के कर्मचारी/राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी * | अनु. जनजाति                                          | अनु. जाति           | विकलांग                                            | अधीस्वीकृत पत्रकार | सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल हैं) | अनारक्षित श्रेणी  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 10%                                                                                | 6%                                                   | 9%                  | 5%                                                 | 2%                 | 10%                                                        | 58%               |
|                                                                                    | 10% निराश्रित एवं भूमि विहीन एकल अनु. जनजाति महिलाएँ | सामान्य अनु. जनजाति | 10% निराश्रित एवं भूमि विहीन एकल अनु. जाति महिलाएँ | सामान्य अनु. जाति  | 10% निराश्रित एवं भूमि विकलांग महिलाएँ                     |                   |
|                                                                                    |                                                      |                     |                                                    |                    | शहीद सैनिक की विधवा या शहीद के आश्रित (अ)                  | सैनिक विकलांग (ब) |
|                                                                                    |                                                      |                     |                                                    |                    |                                                            | अन्य सैनिक (स)    |

\* राज्य सरकार/उपक्रमों/राजकीय अधिकरण के नियमित रूप से चयनित कर्मचारी, जो कि वर्तमान में परिवीक्षा पर हैं, वे भी इस हेतु पात्र होंगे।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.17(10)नवि/द्वितीय/2019 जयपुर दिनांक 16.09.2019 के अनुसार आवंटन के समय आरक्षित भूखण्डों के संबंध में निम्न प्रावधान है:-

- (अ) निम्न आय वर्ग (LIG) के आवेदकों की सकल वार्षिक आय रु. 600000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (ब) राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों तथा केन्द्रीय विभाग के कर्मचारियों के आवेदकों की सकल वार्षिक आय रु. 1200000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (बब) राजकीयसेवा में सेवारत कर्मचारी की मृत्यु उपरान्त 10 वर्ष तक की अवधि में विधवा महिला जिनके पति के मृत्यु के समय सकल वार्षिक आय रुपये 6,00,000/— से ज्यादा नहीं होगी।
- (स) सैनिक(जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी सम्मिलित है तथा BSP/CISF/CRPF के सैनिक जिनकी सकल वार्षिक आयरु. 1200000/— प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (द) राजकीय सेवा में सेवारत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों की सकल वार्षिक आय रु. 1200000/— प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (व) अधिस्वीकृत पत्रकार के आवेदक की सकल वार्षिक आय रु. 1200000/— प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (र) Disability Act 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 49/2016) के तहत निःशक्तजन/दिव्यांगों के आवेदकों की सकल वार्षिक आय रु. 1200000/— प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (न) निराश्रित एवं भूमि विहीन एकल महिला की सकल वार्षिक आय रु. 600000/— प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 5.2 किसी भी आरक्षित वर्ग में पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने पर, उस वर्ग के शेष भूखण्डों का आवंटन अनारक्षित श्रेणी के, उसी आय वर्ग के आवेदकों को किया जायेगा।
- 5.3 राजस्थान सरकार/राज्य के स्थानीय निकायों एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों में कार्यरत व्यक्तियों को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 5.4 राजस्थान की अनु. जाति/अनु. जनजाति के आवेदकों को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 5.5 विकलांग व्यक्तियों को राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 5.6 अधिस्वीकृत पत्रकारों को राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी अधिस्वीकृत पत्रकार का प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- 5.7 सैनिक वर्ग में भारत की थल, जल, वायुसेना, बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ. अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके परिवार में पति, पत्नी/पुत्र एवं उस पर आश्रित सम्मिलित है।
- 5.8 आवेदक, जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है, उस परिवार से मात्र एक आवेदक ही आवेदन कर सकता है।
- 5.9 सैनिक वर्ग में आरक्षित भूखण्डों हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में, उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नहीं होगा।
- 5.10 सैनिक को पूर्व में किसी यू.आई.टी./जविप्रा की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई भूखण्ड आवंटन होने की स्थिति में वह/परिवार का सदस्य सैनिक के आरक्षित कोटे में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- 5.11 अन्य सैनिक(कार्यरत/सेवानिवृत्त) के परिवार से परिवार का केवल एक ही सदस्य आरक्षित कोटे हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे।

5.12 सैनिक कोटे में आरक्षित भूखण्ड हेतु आवेदक को परिशिष्ट प्रारूप अनुसार 50/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त घोषणा पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

5.13 सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।) के लिये आरक्षित भूखण्डों का आवंटन निम्न प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा :-

(अ) उन सैनिकों की विधवाये एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुये हुई हो। (बी. एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.) (उन कार्मिकों की विधवाएं एवं आश्रित जिनकी मृत्यु ड्यूटी निष्पादन के दौरान हुई हो।)

(ब) विकलांग सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.)

(स) अन्य सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.)

(द) इसके लिये सम्बन्धित श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।

## **6. लॉटरी में सफल होने पर आवंटन प्रक्रिया :**

6.1 लॉटरी में सफल हुए आवेदकों को जविप्रा की वेबसाईट के माध्यम से भरा हुआ फार्म डाउनलोड किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रार्थी द्वारा डाउनलोड किए गये फार्म पर निर्धारित स्थान पर वर्तमान फोटो तथा हस्ताक्षर के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र/दस्तावेज, लॉटरी की तिथि से 21 दिवस के अन्दर सम्बन्धित जोन कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

- शपथ पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र (समस्त आवेदकों के लिए),
- पहचान हेतु फोटोयुक्त वोटर आई.डी./आधार कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस/पासपोर्ट/भामाशाह कार्ड आदि में से कोई भी मान्य होंगे।
- सकल मासिक आय प्रमाण पत्र (बिना कटौती के), (स्वयं,पति/पत्नी एवं आश्रित की आय को सम्मिलित करते हुए), (समस्त आवेदकों के लिए)
- आरक्षित भूखण्डों के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी श्रेणी/वर्ग प्रमाण पत्र की प्रमाणित/सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।
- आवेदन फार्म में आवेदक को आधार कार्ड नम्बर या आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा तथा कार्ड आने पर उसका नम्बर कार्यालय में अपडेट करना होगा।

6.2 संबंधित जोन कार्यालय द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जाँच करने के उपरान्त पात्र आवेदकों को मांग पत्र जारी किये जायेंगे।

6.3 पात्र आवेदक को निर्धारित राशि आवंटन-मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में नकद/बैंक ड्राफ्ट/NEFT/RTGS द्वारा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम से प्राधिकरण परिसर स्थित आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में एक मुश्त जमा करानी होगी।

6.4 निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार राशि मय ब्याज जमा कराई जा सकती है किन्तु ब्याज आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से देय होगा।

6.5 आवंटन-मांग पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिवस में नजराना राशि जमा न होने की स्थिति में भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

## **7. आवेदन फार्म वापस लेने की विधि :**

7.1 प्राधिकरण में जमा आवेदन वापिस लेने पर पंजीकरण राशि का रिफण्ड

(i) लॉटरी तिथि से पूर्व एवं पश्चात् तथा आवंटन सह मांग-पत्र जारी होने के बाद रिफण्ड चाहने पर जमा पंजीकरण राशि का 20 प्रतिशत राशि की कटौती करते हुए शेष राशि रिफण्ड की जावेगी।

7.2 एक परिवार(पति, पत्नी एवं आश्रित) द्वारा एक से अधिक भूखण्डों हेतु आवेदन करने एवं लॉटरी में एक से अधिक भूखण्ड निकलने पर परिवार को एक ही भूखण्ड आवंटित किया जावेगा शेष भूखण्डों की जमा पंजीकरण राशि की राशि लौटा दी जावेगी। इसकी सूचना आवेदक द्वारा प्राधिकरण को दी जावेगी।

## **8. असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि की वापसी :**

8.1 लॉटरी में असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफण्ड ऑनलाईन बैंकिंग के माध्यम से आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अंकित बचत खाता संख्या, अंकित बैंक एवं IFSC Code में ऑनलाईन हस्तान्तरित की जावेगी।

8.2 असफल आवेदकों को लाटरी दिनांक से 6 माह तक जविप्रा द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। आवेदक द्वारा गलत आई.एफ.एस.सी. कोड, बैंक खाता संख्या एवं खाते के नाम के कारण पंजीयन राशि लौटाये जाने में विलम्ब होने पर, जविप्रा द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

## **9. आवेदन पत्र अस्वीकार/निरस्त किये जाने के कारण :**

9.1 लॉटरी के पश्चात् लॉटरी में सफल आवेदकों के पात्रता की जाँच संबंधित जोन स्तर पर की जावेगी जिसमें गलत तथ्य पाये जाने पर लॉटरी में आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जाकर **पंजीकरण राशि जब्त कर ली जावेगी।**

9.2 एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिये जावेंगे।

9.3 यदि आवेदन आय वर्ग के अनुरूप न किया गया हो।

9.4 आवेदक द्वारा निर्धारित आरक्षित श्रेणी हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर।

9.5 आवेदन पत्र में नियम विरुद्ध एवं गलत तथ्य देने पर।

9.6 अवयस्क व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर।

9.7 संयुक्त नाम से आवेदन करने पर।

## **10. अन्य महत्वपूर्ण शर्तें :**

10.1 भूखण्ड 99 वर्ष की लीज पर आवंटित किए जावेंगे।

10.2 आवंटी को लीज डीड पंजीयन का व्यय स्वयं को वहन करना होगा तथा उसके पश्चात ही भूखण्ड का भौतिक कब्जा दिया जायेगा।

- 10.3 भूखण्ड आवंटी को, भूखण्ड आवंटन के पांच साल की अवधि में भवन निर्माण पूर्ण कराना होगा। आवंटी द्वारा नियत समयावधि में मकान का निर्माण नहीं कराया गया तो भूखण्ड का आवंटन निरस्त समझा जावेगा तथा आवंटी भविष्य में भूखण्ड आवंटन का पात्र नहीं होगा। निर्धारित अवधि में भवन निर्माण नहीं होने पर निरस्त हुये भूखण्ड को नियमित/निर्माण स्वीकृति को बढ़ाये जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों प्रभावी होंगे।
- 10.4 किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के सम्बन्ध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।
- 10.5 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त, जयपुरा का निर्णय अन्तिम होगा।
- 10.6 आवंटन पत्र के साथ अग्रिम राशि प्राप्त होने मात्र से प्राधिकरण इन योजनाओं में भूखण्ड आवंटन करने के सम्बन्ध में किसी से कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।
- 10.7 आवंटन के संबंध में भूमि निस्तारण नियम 1974 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियम, आदेश/निर्देश लागू होंगे।

(समस्त आवेदकों के लिए)

मैं ..... पुत्र/पत्नि/पुत्री .....

.....

आयु..... निवासी .....

..... शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ, कि

- (1) यह कि मेरे या मुझ पर आश्रित के पास राजस्थान के 1,00,000 से अधिक आबादी वाले किसी कस्बा/शहर में कोई पूर्ण अथवा अपूर्ण, लीज होल्ड अथवा फ्री होल्ड आवासीय भूखण्ड अथवा मकान नहीं है तथा मैं राजस्थान का/की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ।
- (2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यान, पूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं अपने आय वर्ग अनुसार निर्धारित श्रेणी में ही आवेदन कर रहा/रही हूँ, जिस हेतु आवेदन प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेंगे मैं पेश कर दूँगा/कर दूँगी।
- (3) यह कि मैंने सामान्य/आरक्षित श्रेणी ( राजस्थान राज्य कर्मचारी/सैनिक/अनु0जाति/अनु0जनजाति/विकलांग/अधिस्वीकृत पत्रकार) में आवेदन किया है जिसकी मैं पात्रता रखता/रखती हूँ। इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेगे, मैं प्रस्तुत कर दूँगा/कर दूँगी।
- (4) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मुझे आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जा सकेगा।
- (5) प्राधिकरण की किसी भी आवासीय योजना में विगत 10 वर्षों में कोई भूखण्ड/प्लॉट मेरे (स्वयं पति/पत्नि तथा किसी आश्रित के नाम भूखण्ड/मकान आवंटित नहीं हुआ है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं ..... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री .....

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता(IPC) अनुसार संबन्धित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

**आय प्रमाण-पत्र**

(गैर वेतन भोगी/निजी व्यवसाय/निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ..... जाति ..... निवासी.....  
..... तहसील.....जिला .....  
.....  
राज्य ..... की स्वयं पत्नि/पति एवं आश्रित की सकल वार्षिक आय रु0.....  
..... प्रतिवर्ष हैं एवं मेरा पैन नम्बर ..... हैं।

हस्ताक्षर आवेदक

**घोषणा**

मैं ..... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ..... शपथ  
पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।  
गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता(IPC) अनुसार संबंधित  
प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

---

**आय प्रमाण-पत्र (निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ..... इस कम्पनी/फर्म में .....  
..... पद पर कार्यरत हैं। इनकी सकल वार्षिक आय रु0 ..... प्रतिवर्ष है।

दिनांक :  
स्थान :

कम्पनी/फर्म प्रमाणिकर्ता  
के हस्ताक्षर मय मोहर

---

**आय प्रमाण-पत्र (वेतन भोगी आवेदकों के लिए)**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ..... इस विभाग में .....  
पद पर कार्यरत हैं एवं ये केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा राजस्थान सरकार के उपक्रम की नियमित  
कर्मचारी हैं। इनकी सकल वार्षिक आय रु0 ..... प्रतिवर्ष है।

दिनांक :  
स्थान :

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष  
के हस्ताक्षर मय मोहर  
विभाग/उपक्रम का नाम

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ..... निवासी.....  
.....जिला ..... सम्भाग.....  
राज्य ..... जाति के सदस्य है जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन  
अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल हैं।

हस्ताक्षर

तहसीलदार

(कार्यालय की मोहर सहित)

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

सैनिक/सैनिक पर आश्रित एवं सैनिक की विधवाओं हेतु  
(आय प्रमाण-पत्र के लिए मान्य नहीं होगा)

प्रमाणित किया जाता है कि .....  
..... (रैंक) ..... (नाम) .....  
..... ( नम्बर ) .....

- (अ) यह वर्तमान में भारतीय थल/जल/वायु सेना/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सी.आई.एस.एफ. में कार्यरत हैं। इनकी मासिक आय रुपये ..... प्रतिमाह हैं।
- (ब) ये सशस्त्र सेनाओं/सुरक्षा बलों से सेवानिवृत्त हुए हैं तथा सेवानिवृत्ति के समय इनकी वार्षिक आय रुपये ..... प्रतिवर्ष थी।
- (स) इनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गयी थी। इनकी विधवा श्रीमती/सुश्री ..... है। इनके पति की मृत्यु के समय मासिक आय रु0 ..... प्रतिमाह थी। इन्होंने अभी तक पुनर्विवाह नहीं किया है।

कमान्डिंग ऑफिसर/  
सक्षम अधिकारी/सचिव,  
सैनिक बोर्ड के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान :

दिनांक :

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

### शपथ पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।)  
कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन हेतु।

मैं .....पुत्र/पत्नि/पुत्री .....  
आयु..... निवासी .....

..... शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ कि

- (1) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड हेतु एक मात्र मैं ही आवेदन कर रहा हूँ। परिवार के किसी अन्य सदस्य ने उक्त आरक्षित कोटे से भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है।
- (2) यह कि मेरे पिता/पति/पत्नि सैनिक थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके आधार पर आरक्षित कोटे से मेरे अतिरिक्त परिवार के किसी भी सदस्य ने आरक्षित कोटे में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है तथा न ही मेरे स्व० पिता/पति/पत्नि श्री/श्रीमती/..... ने एवम् हमारे परिवार के किसी सदस्य ने सैनिक कोटे में आज तक आरक्षित भूखण्डों में से कोई भूखण्ड आवंटित कराया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

### घोषणा

मैं ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .....  
शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता(IPC)अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

## शपथ पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।)  
कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन करने पर,  
सैनिक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र।

मैं ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री .....  
आयु..... निवासी .....

..... शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ, कि

- (1) यह कि मैं सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्डों के आवंटन की पात्रता रखता हूँ।
- (2) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड आवंटन हेतु मेरे द्वारा कोई आवेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- (3) यह कि उक्त श्रेणी में आरक्षित भूखण्डों हेतु उसके परिवार के सदस्यों के रूप में मेरी/मेरा पत्नी/पुत्र/पुत्री/पति श्री/श्रीमती/कुमारी ..... द्वारा भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उसे ही मेरी ओर से प्रस्तुत /प्रार्थना पत्र के रूप में स्वीकार किया जावे।
- (4) यह कि मुझे व मेरे परिवार को सैनिक कोटे में आरक्षित श्रेणी में रियायती दर पर आज तक कोई भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

## घोषणा

मैं ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .....  
शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध **भारतीय दण्ड संहिता(IPC)** अनुसार संबन्धित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

### विकलांग प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ..... निवासी.....  
..... की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी तथा ये  
शारीरिक रूप से अपंग हैं।

स्थान :

प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी

दिनांक :

के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

### अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ..... निवासी.....  
.....तहसील ..... जिला .....  
..... अधिस्वीकृत पत्रकार है।

स्थान :

निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/प्राधिकृत

दिनांक :

अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति